रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 221] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 1972/आश्विन 5, 1894

No. 221] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 1972/ASVINA 5, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL SECRETARIAT LI... 23 NOV 1972 GOVT. OF INDIA

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 27th September, 1972

SUBJECT.—*Scheme for the licensing of restricted varieties of Indian cotton mill-made textiles for export to the U.S.A. during the licensing year 1st October, 1972 to 30th September, 1973.*

No. PN(USA LICENSING)/1 of 1972.—The Scheme relates to the exports of all the 64 ICTA categories of cotton millmade textiles from India to the USA under the quota for the licensing year 1st October, 1972 to 30th September, 1973.

2. For purpose of licensing, the shipment period will be divided into 2 six monthly period. 1st October, 1972 to 31st March, 1973 and 1st April, 1973 to 30th September, 1973.

3. Exports will be allowed from any port in India.

4. Licences under the Scheme shall be issued by the Joint Chief Controller of Imports & Exports, Bombay, on the basis of the quota certificates issued by The Cotton Textiles Export Promotion Council Bombay (Texprocil) on the recommendations of the U.S.A. Textiles Licensing Advisory Committee. This shall apply in the case of exports of:

ICTA Code No. 009/10 (sheeting carded/combed yarn).

ICTA Code No. 018/19 (print cloth, shirting types carded yarn),

ICTA Code No. 022 (twill and sateen carded yarn).

ICTA Code No. 026 (woven fabrics n.e.s. carded yarn, duck only).

ICTA Code No. 026 (woven fabrics n.e.s. carded yarn, other than duck).

ICTA Code No. 028/29 (pillow cases, carded/combed yarn).

ICTA Code No. 30 (dish towels).

ITCA Code No. 31 (towels, other than dish towels).

ICTA Code No. 34/35 (bed sheets, carded/combed yarn) and.

ICTA Code No. 64 (only in respect of terry napkings, terry wash cloth & terry mops of size 12"×12" or below, napkins other than terry and table covers).

(a) For the purpose of exports of cotton textiles of ICTA Categories 1 to 8, 11 to 17, 20, 21, 23, to 25, 27, 32, 33, 36, 37, to 63 and 64 (items other than terry napkins terry wash cloth and terry mops of size 12"×12" or below, napkin other than terry and table covers) the quotas/licences will be issued against individual shipments, by way of endorsements on the shipping bill on first-come-first-served basis subject to the condition that as soon as the ceiling laid down is reached, exports thereunder shall be stopped forthwith. In respect of bed spreads falling under category 036, the quotas will be allotted on shipping bills on first-come-first-served basis provided the condition of minimum price of 23 US *f.o.b.* or 25 US *c. i. f.* per square yard is fulfilled. 60 per cent of the annual quota level for bedspreads will be distributed during first half of the licensing year and the balance 40 per cent will be distributed during second half of the licensing year.

(b) The first six-monthly distribution will be made on the above basis. The second six-monthly distribution will be made later in accordance with the decision of the U. S. A. Textiles Licensing Advisory Committee.

(c) The list of 64 ITCA categories and details of the items falling under the same are available with the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay.

5. The U. S. A. Textiles Licensing Advisory Committee consists of three representatives nominated by the Indian Cotton Mills Federation and three by the Cotton Textiles Export Promotion Council, one representing from the Clothing Manufacturer's Association of India, Bombay and one representative each nominated by the Joint Chief Controller of Imports & Exports Bombay, and the Textile Commissioner, Bombay.

6. Licences and quotas shall not be transferable without the express consent in writing of the U. S. A. Textiles Licensing Advisory Committee.

7. Quotas under each of the above restricted categories will be allotted in terms of the decisions taken from time to time by the U.S.A. Textiles Licensing Advisory Committee.

8. All shipments of cotton textiles made during each month from any port in India shall be reported by the exporters concerned to the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, by the 10th of the subsequent month.

9. A non-refundable charge of Rs. 2.50 per 10,000 sq. yards will be levied by the Cotton Textiles Export Promotion Council, for the issue of quotas, subject to a minimum of Rs. 2.50.

10. The U.S.A. Textiles Licensing Advisory Committee is empowered to frame rules and regulations from time to time *inter-alia*, to provide for the conditions to be complied with by an applicant before he would be eligible to quotas.

11. The U.S.A. Textiles Licensing Advisory Commtitee shall also:

(a) supervise the entire scheme;

(b) keep watch over the performance from time to time;

(c) Interpret and give decisions on various matters arising out of the operation of the scheme; and

(d) make such changes in the scheme as the Committee may consider fit from time to time.

12. The Address of the Cotton Textiles Export Promotion Council is as follows:—

ENGINEERING CENTRE, 5th Floor, 9, Mathew Road, Bombay-4.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1972

विषय .—लाइसेंस वर्ष 1 अक्तूबर, 1972 से 30 सितम्बर, 1973 के दौरान भारतीय मिल निर्मित सूती वस्त्रों की प्रतिबन्धित श्रेणियों का संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात के लिए लाइसेंस देने से संबंधित योजना ।

संख्या पीएन (यूएसए लाइसेंसिंग)/1, 1972.—यह योजना लाइसेंस वर्ष 1 अक्तूबर, 1972 से 30 सितम्बर, 1973 तक के लिए कोटा के अन्तर्गत भारत से संयुक्त राज्य अमरीका को मिल निर्मित सूती वस्त्रों की सभी 64 आईसीटीए श्रेणियों के निर्यात से सम्बन्ध रखती है ।

2. लाइसेंस देने के प्रयोजन हेतु, पोतलदान की अवधि को 1 अक्तूबर, 1972 से 31 मार्च, 1973 तक तथा 1 अप्रैल, 1973 से 30 सितम्बर, 1973 तक छ: छ: मास की दो अवधियों में बांटा जाएगा ।

3. भारत के किसी भी पत्तन से निर्यात की स्वीकृति दी जाएगी ।

4. इस योजना के अन्तर्गत लाइसेंस, संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति की सिफारिश पर सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई (टेक्प्रोसिल) द्वारा जारी किए गए कोटा प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किए जाएंगे । यह निम्नलिखित निर्यातों के मामले में लागू होगा :—

आई सी टी ए कोड सं० 009/10 (शीटिंग कार्डिड/साफ किए हुए धागे)

आई सी टी ए कोड सं० 018/10 (प्रिन्ट कपड़ा, शटिंग टाइप के धुने हुए धागे)

आई सी टी ए कोड सं० 022 (तुड़ल तथा मटीन धुने हुए धागे)

आई सी टी ए कोड सं० 026 (बुने हुए वस्त्र जो और कहीं विशिष्टिकृत नहीं है, धुने हुए धागे, केवल मोटा सूती कपड़ा)

आई सी टी ए कोड सं० 026 (बुने हुए वस्त्र जो और कहीं विशिष्टिकृत नहीं है, धुने हुए धागे, मोटा सूती कपड़ों से भिन्न)

आई सी टी ए कोट सं० 028/29 (तकिये के गिलाफ, धुने हुए/साफ किए हुए धागे).

आई सी टी ए कोड सं० 30 (भाजन के समय प्रयोग में आने वाले तौलिए).

आई सी टी ए कोड सं० 31 (भोजन के समय प्रयोग में आने वाले तौलियों से भिन्न तौलिए).

आई सी टी ए कोड सं० 34/35 (बिछाने के लिए चादरें, धुने हुए/साफ किए हुए धागे) तथा

आई सी टी ए को सं० 64 (केवल टेरि नेपकिन्स, टेरि वाश क्लाथ तथा 12″ × 12″ अथवा इससे कम साइज के टेरि मोप्स, टेरि तथा मेजपोशों से भिन्न नेपकिन).

(ए) आई सी टी ए 1 से 8, 11 से 17, 20, 21, 23 से 25, 27, 32, 33, 36, 37 से 63 तथा 64 श्रेणियों (टेरि नेपकिन्स, टेरिवाश क्लाथ तथा 12″ × 12″ अथवा इससे कम साइज के टेरि मोप्स से भिन्न मदें, टेरि तथा मेजपोशों से भिन्न नेपकिन) के सूती वस्त्रों के निर्यात के प्रयोजन हेतु कोटे/लाइसेंस लदान बिल पर पृष्ठांकन करके, अलग-अलग पोतलदान के मद्दे पहले आए सो पहले पाए के आधार पर जारी किए जाएंगे और ये इस शर्त के अधीन होंगे कि जैसे ही निर्धारित उच्चतम मूल्य सीमा पूर्ण हो जाती है, इसके अन्तर्गत तुरन्त ही निर्यात रोक दिए जाएंगे। श्रेणी सं० 036 के अन्तर्गत आने वाले पलंग-पोशों के मामले में कोटे, लदान बिलों पर, पहले आए सो पहले पाए के आधार पर नियत किए जाएंगे, बशर्ते कि प्रति वर्ग गज के जहाज पर निशुल्क मूल्य का न्यूनतम कीमत 23 यूएस शिलिंग अथवा लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य की न्यूनतम कीमत 25 यूएस शिलिंग की शर्त को पूरा किया जाता है। पलंग-पोशों के लिए वार्षिक कोटे का 60 प्रतिशत लाइसेंस वर्ष के पहले आधे वर्ष में वितरण किया जाएगा और शेष 40 प्रतिशत लाइसेंस वर्ष के दूसरे आधे वर्ष में वितरण किया जाएगा।

(बी) पहला छः मासिक वितरण उपर्युक्त आधार पर किया जाएगा। दूसरा छः मासिक वितरण, संयुक्त राज्य अमरीका सूती वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति के निर्णय के अनुसार बाद में किया जाएगा।

(सी) 64 आई सी टी ए श्रेणियों तथा इन के अन्तर्गत आने वाली मदों के विवरण की सूची, सूती वस्त्र निर्यात वर्धन परिषद, बम्बई के पास उपलब्ध ।

5. संयुक्त राज्य अमरीका सूती वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति में, भारतीय सूती मिल संगठन द्वारा नामित 3 प्रतिनिधि और सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन, बम्बई द्वारा नामित 3 प्रतिनिधि, भारतीय कपड़ा निर्माण संघ, बम्बई द्वारा नामित 1 प्रतिनिधि और प्रत्येक संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई तथा वस्त्र आयुक्त, बम्बई द्वारा एक एक प्रतिनिधि है ।

6. संयुक्त राज्य अमरीका वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति की लिखित में स्पष्ट स्वीकृति के बिना लाइसेंस और कोटा हस्तान्तरणीय नहीं होंगे ।

7. उपर्युक्त प्रतिबन्धित प्रत्येक श्रेणी के अधीन कोटा संयक्त राज्य अमरीका वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति द्वारा समय समय पर लिए गए निर्णयों के अनुसार आवंटित किए जाएंगे ।

8. भारत के किसी भी पत्तन से प्रत्येक महीने के दौरान सूती वस्त्रों के लिए गए पोतलदानों की सूचना सम्बद्ध निर्यातकों द्वारा सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई को अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक दी जाएगी ।

9. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा कोटा जारी करने के लिए प्रति 10,000 वर्ग गज पर 2.50 रुपये के हिसाब से प्रदेय धनराशि उगाही जाएगी, यह धनराशि कम से कम 2.50 रुपये होगी ।

10. आवेदक को कोटे के लिए पात्र बनने से पहले शर्तों का उसके द्वारा अनुपालन कराने के साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमरीका वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति को समय-समय पर नियम तथा विनियम बनाने के अधिकार हैं ।

11. संयुक्त राज्य अमरीका वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति निम्नलिखित कार्य भी करेगी :—

(क) सम्पूर्ण योजना का पर्यवेक्षण;

(ख) समय समय पर कार्य निष्पादन की निगरानी रखना;

(ग) योजना के परिपालन से सम्बन्धित उत्पन्न विभिन्न मामलों का विवेचन करना और निर्णय देना; और

(घ) योजना में ऐसे परिवर्तन करना जो समिति समय समय पर उचित समझे ।

12. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद का पता निम्नलिखित है :—

इंजीनियरिंग सेन्टर, पांचवीं मंजिल,

9, मैथ्यू रोड, बम्बई–4,

SUBJECT.—*Information regarding outstanding export-import contracts with Yugoslavia Payment falling due after 31st December, 1972.*

No. 21(ETC)/PN/72.—1972 being the terminal year for the rupee payment arrangement with Yugoslavia, it is, therefore, necessary for the Government of India to ascertain the extent of payments which are either to be made or to be received in rupees after 31st December, 1972 under contractual obligations in respect of import and export contracts already entered into by Indian businessmen with Yugoslav business enterprises in the past. All importers and exporters are, therefore, required to furnish in duplicate, the following information in separate sheets for finalised export and import contracts likely to remain unfulfilled on 31st December, 1972 to the Officer on Special Duty (Yugoslavia), Ministry of Foreign Trade, Udyog Bhavan, New Delhi.

1. Name of the Indian exporters/importers.
2. Name of Yugoslav importers/exporters
3. Contract No. (export/import) and date.
4. Commodity.
5. Total value of the contract.
6. Payments likely to be received upto 31st December, 1972 in respect of export contracts/made in respect of import contracts; and
7. Total payment to be realised after 1st January, 1973 for export/import contracts (with approximate period of payment).

2. The above information should reach the Officer on Special Duty (Yugoslavia) Ministry of Foreign Trade, Government of India, New Delhi by 10th October, 1972 latest. If no relevant particulars in respect of payments arising from the contracts already concluded under Rupee Trade & Payments Agreements with Yugoslavia and due after 31st December, 1972 are made available to this Ministry by any firm/organisation by 10th October, 1972, it will be considered that there is no such case.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विषय.—यूगोस्लाविया के साथ बकाया निर्यात-आयात संविदाओं के सम्बन्ध में सूचना—31—12—72 के बाद देय रहने वाला भुगतान ।

संख्या 21(ईटीसी)/पीएन/72.—वर्ष, 1972 यूगोस्लाविया के साथ रुपया भुगतान की व्यवस्था करने के लिए अन्तिम वर्ष है, अतः, भारतीय व्यापारियों द्वारा यूगोस्लाविया के व्यवसायी उद्यमों के साथ पहले ही भूतकाल में की गई आयात-निर्यात संविदाओं के सम्बन्ध में संविदा सम्बन्धी दायित्वों के अधीन जो भुगतान या तो 31—12—1972 के बाद चुकाने हैं या रुपये में प्राप्त करने हैं उनकी सीमा का सुनिश्चय करना भारत सरकार के लिए आवश्यक है । इसलिए जिन निर्णीत आयात-निर्यात संविदाओं की 31—12—1972 को अपूर्ण रहने की सम्भावना है, उन के लिए सभी आयातक और निर्यातक निम्नलिखित सूचना अलग शीट में, दो प्रतियों में विशेष कार्य अधिकारी (यूगोस्लाविया), विदेश व्यापार मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली को प्रस्तुत करें :—

1. भारतीय निर्यातकों/आयतकों का नाम ।
2. यूगोस्लाविया के आयातकों/निर्यातकों का नाम ।
3. संविदा संख्या (निर्यात/आयात) और दिनांक ।